मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259] भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 अप्रैल 2010—चैत्र 29, शक 1932

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2010

क्र. एफ-19-7-2010-बारह-1.—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 के खण्ड (बारह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(बारह-क) ''प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा'' से अभिप्रेत है, कलक्टर कार्यालय में पदस्थ संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश का राजपत्रित अधिकारी एवं उसकी अनुपस्थिति में कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी;

(2) नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''6. उत्खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति,—अनुसूची एक तथा दो में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में उत्खनन पट्टों को प्रदान करने तथा उसका नवीकरण, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित प्राधिकारी द्वारा, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट

खनिजों के लिए, कॉलम (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक किया जाएगा:—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकारी (2)	खनिज (3)		शक्तियों की सीमा (4)	
1	संचालक	(एक)	अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 3 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक)	जहां आवेदित क्षेत्र 5.00 हेक्टर से अधिक हो.
		(दो)	अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(दो)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.
		(तीन)	अनुसूची एक के अनुक्रमांक 6 और 7 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(तीन)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.
2	कलक्टर/अपर कलक्टर (भारतीय प्रशासनिक सेवा वरिष्ठ वेतनमान).	(एक)	अनुसूची एक के अनुक्रमांक 1 से 3 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक)	जहां आवेदित क्षेत्र 5.00 हेक्टर से अधिक न हो.
		(दो)	अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(दो)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक न हो.
		(तीन)	अनुसूची एक के अनुक्रमांक 6 और 7 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(तीन)	जहां आवेदित क्षेत्र 2.00 हेक्टर से अधिक तथा 4.00 हेक्टर से कम हो.
		(चार)	अनुसूची दो के अनुक्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट खनिज चिमनी भट्टा/भट्टा में ईंट तथा कवेलू बनाने हेतु साधारण क्ले (मिट्टी).	(चार)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.
		(पांच)	अनुसूची दो के अनुक्रमांक 5 से 12 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(पांच)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक हो.
3	प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा	(एक)	अनुसूची एक के अनुक्रमांक 6 और 7 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(एक)	जहां आवेदित क्षेत्र 2.00 हेक्टर से अधिक न हो.
		(दो)	अनुसूची दो के अनुक्रमांक 2 में विनिर्दिष्ट खनिज चिमनी भट्टा/भट्टा में ईंट तथा कवेलू बनाने हेतु साधारण क्ले (मिट्टी).	(दो)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक न हो.
		(तीन)	अनुसूची दो के अनुक्रमांक 5 से 12 में विनिर्दिष्ट खनिज.	(तीन)	जहां आवेदित क्षेत्र 4.00 हेक्टर से अधिक न हो.

(3) नियम 7 में,—

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(1) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 तथा अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट खनिजों की खदानों का आवंटन केवल नीलामी द्वारा किया जाएगा :

परन्तु मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) के पक्ष में अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट खनिज का उत्खनन पट्टा प्रदान किया जा सकेगा.'';

(दो) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(2) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट खनिज की खदानें पांच वर्ष के लिए नीलाम की जाएंगी तथा अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट खनिज की खदानें दो वर्ष के लिए नीलाम की जाएंगी:

परन्तु यदि कोई ठेकेदार अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट खनिज के लिये 1 वर्ष के भीतर कटिंग एवं पालिशिंग उद्योग स्थापित करता है तो ठेके की कालावधि 5 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी तथा ऐसी स्थिति में प्रथम वर्ष को छोड़कर ठेकाधन में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी.''.

(4) नियम 8 में, शब्द तथा अंक ''अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट खनिज'' के स्थान पर, शब्द तथा अंक ''अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट खनिजों'' तथा अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट खनिजों'' स्थापित किए जाएं.

(5) नियम 17 में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए तथा उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''परन्तु यदि उत्खनन पट्टे के नवीकरण हेतु कोई आवेदन विहित कालावधि के भीतर किया जाता है तो उस पट्टे की कालावधि नवीकरण हेतु छह मास तक बढ़ाई गई समझी जावेगी.''.

(6) नियम 18 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(2) मंजूरी प्राधिकारी, ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे, करने के पश्चात् पूर्व में स्वीकृत उत्खनन पट्टे की अवधि समाप्ति के पूर्व, उत्खनन पट्टा प्रदान कर सकेगा, नवीकरण कर सकेगा या उसे मंजूर करने से इंकार कर सकेगा:

परन्तु नये क्षेत्र के लिये कोई उत्खनन पट्टा संबंधित ग्राम सभा की राय अभिप्राप्त किये बिना स्वीकृत नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि मंजूरी प्राधिकारी द्वारा यदि छह माह के भीतर आवेदन का निपटारा नहीं किया जाता है तब नियम 6 में यथा उल्लेखित वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा आवेदन का निराकरण किया जाएगा.''.

(7) नियम 21 में, प्रारंभिक पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''अनुसूची एक के अनुक्रमांक 4, 6 एवं 7 पर विनिर्दिष्ट खनिजों तथा अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट खनिजों का उत्खनन पट्टा, अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 को छोड़कर, निम्नलिखित प्रवर्ग को अधिमान दिया जाएगा, अर्थात्:—

(8) नियम 22 में, विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात्:—

सारणी

अ. क्र.	खनिजों का नाम	कालावधि	
		व्यक्तिगत प्रकरण के मामले में	सहकारी सोसायटियों के मामले में
(1)	(2)	(3)	(4)
1	चूना पत्थर जिसका उपयोग भट्टों में भवन निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग किया जाने वाला चूना बनाने के लिये किया जाए.	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष.	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष.
2	मशीन द्वारा गिट्टी बनाने हेतु पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु).	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष.	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष.
3	बेनटोनाइट/फुलर्स अर्थ	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष.	नवीकरण खण्ड के साथ पांच वर्ष.
4	चिमनी भट्टा तथा कवेलू उद्योग के लिये मिट्टी	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष.	नवीकरण खण्ड के साथ दस वर्ष.
5	ईंट, बर्तन, कवेलू इत्यादि बनाने के लिये साधारण मिट्टी, चिमनी भट्टा के सिवाय.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.
6	चूना कंकड़	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.
7	ग्रेवल	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.
8	लाईम शेल	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.
9	रेह मिट्टी	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.
10	स्लेट जिसका भवन निर्माण सामग्री के लिये उपयोग किया गया हो.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.
11	शेल जब भवन निर्माण कार्य के लिए उपयोग किया गया हो.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.
12	ऊपर विनिर्दिष्ट न किए गए खनिजों के अलावा अन्य कोई गौण खनिज.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.	नवीकरण खण्ड के बिना दो वर्ष.

(9) नियम 23 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"23—उत्खनन पट्टे का भाग अभ्यर्पण तथा समामेलन :—

(क) पट्टा क्षेत्र का वह भाग, जो खनिज विहीन है या निःशेष हो चुका है तो पट्टेदार उसे पट्टा अवधि में या नवीकरण के समय कोई सघन भाग अभ्यर्पण करने का हकदार होगा :

परन्तु मंजूरी प्राधिकारी इस प्रकार का अभ्यर्पण संचालक अथवा उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के बिना मान्य नहीं करेगा.

(ख) मंजूरी प्राधिकारी खनिज विकास के हित में तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के साथ किसी पट्टेदार द्वारा धारित दो या अधिक आसन्न पट्टों के समामेलन की अनुज्ञा दे सकेगा :

परन्तु समामेलन किये जाने वाले पट्टों की अवधि उस पट्टे के साथ सह-समापन योग्य होगी जिस पट्टे की अवधि पहले पूरी होगी.''.

(10) नियम 30 के उपनियम (26) में,—

(एक) शब्द, कोष्ठक तथा अंक ''उपनियम (1), (3), (4), (11), (12) या (13)'' का लोप किया जाए ;

(दो) शब्द, ''साठ दिन'' के स्थान पर, शब्द ''तीस दिन'' स्थापित किए जाएं.

(11) नियम 35 के उपनियम (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''परन्तु नियम 10 के उपनियम (3) में यथा विहित रीति के अनुसार तीन वर्ष के विद्यमान अनिवार्य भाटक की तीन गुना राशि का भुगतान करने पर तथा अंतरिती द्वारा ऐसे किसी उत्खनन पट्टे के संबंध में अंतरक के समस्त दायित्वों तथा शर्तों को स्वीकार करने पर, मंजूरी प्राधिकारी द्वारा पट्टेदार के अंतरण की अनुज्ञा दी जा सकेगी.''.

(12) नियम 36 के उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात :—

''(1) अनुसूची एक के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट खनिजों तथा अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1, 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट खनिजों का आवंटन केवल नीलामी द्वारा किया जाएगा :

परन्तु मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) के पक्ष में अनुसूची दो के अनुक्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट खनिज का उत्खनन पट्टा प्रदान किया जा सकेगा.''.

(13) नियम 41 में निम्नलिखित नया उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(6) यदि राज्य शासन के नियंत्रण से परे किन्हीं कारणों से नीलामी नहीं की गई है तब ठेकाधन में दस प्रतिशत की वृद्धि करने के पश्चात्, अग्रिम भुगतान की शर्त पर संचालक द्वारा पूर्व ठेकेदार को अधिकतम तीन मास के लिये ठेका संचालन की अनुज्ञा दी जाएगी और ठेकेदार इस अवधि के दौरान करार की समस्त शर्तों का पालन करेगा.''.

(14) नियम 53 में,—

(एक) उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(1) जब भी कोई व्यक्ति, इन नियमों के अनुसार न होकर अन्यथा, खनिजों का उत्खनन करता है या परिवहन करता पाया जाए या जिसकी ओर से ऐसा उत्खनन या परिवहन किया जाए, तो वह अवैध उत्खनन के लिये एक पक्षकार उपधारित किया जाएगा तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति तीन मास की न्यूनतम अवधि के साधारण कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो रुपये पचास हजार तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा.''.

(दो) उपनियम (5) में, शब्द ''बाजार मूल्य से दुगुने'' के स्थान पर, शब्द ''बाजार मूल्य से दस गुने,'' तथा शब्द ''स्वामित्व के दस गुने'' के स्थान पर शब्द ''स्वामित्व (रायल्टी) के बीस गुने'' स्थापित किए जाएं.

(15) नियम 57 के उपनियम (2) में शब्द ''कलक्टर/अपर कलक्टर'' के स्थान पर, शब्द ''कलक्टर/अपर कलक्टर/प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा'' स्थापित किए जाएं.

(16) नियम 68 में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द ''कलक्टर/अपर कलक्टर'' के स्थान पर, शब्द ''प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा'' स्थापित किए जाएं.

(दो) उपनियम (5) में, शब्द ''जिला कलक्टर'' के स्थान पर, शब्द ''प्रभारी अधिकारी, खनिज शाखा'' स्थापित किए जाएं.

(17) प्ररूप-पन्द्रह में,—

(एक) पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''8. जमा किया गया अग्रिम धन अंतिम बोली लगाने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति को छोड़कर, जिसकी बोली स्वीकार किये जाने की संभावना है, समस्त बोली लगाने वालों को वापस कर दिया जायेगा. अंतिम बोली लगाने वाले को अंतिम बोली का 25 प्रतिशत प्रतिभूमि रकम के रूप में उसके पक्ष में बोली समाप्त होने के तत्काल बाद नीलाम स्थल पर तथा प्रतिभूति के रूप में 25 प्रतिशत की रकम के समतुल्य ठेका अवधि तक की बैंक गारंटी/राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा सात दिन के भीतर करार में अधिकथित किए गए निबंधनों तथा शर्तों के अनुपालन के लिये जमा करना होगी. यह प्रतिभूमि रकम, प्रतिभूति संविदा की कालावधि समाप्त होने के पश्चात् केवल तभी वापसी योग्य होगी, जब कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) का यह समाधान हो जाए कि ठेकेदार द्वारा समस्त नियमों और/या करार की शर्तों का समाधानप्रद रूप से पालन किया गया है.

यदि वह बोली लगाने वाला, जिसके पक्ष में बोली समाप्त हुई है, तत्काल बाद प्रतिभूमि निक्षेप जमा करने में असफल रहता है तो उसके द्वारा जमा किया गया अग्रिम धन समपहृत हो जाएगा तथा खदान की पुनः नीलामी की जाएगी.'' ;

(दो) पैरा 11 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''11. ठेके धन का भुगतान किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगा :—

(एक) यदि ठेका धन प्रतिवर्ष रुपये 20,000/- से अधिक नहीं है तो सम्पूर्ण रकम, करार निष्पादन के पूर्व एक किस्त में जमा की जाएगी.

(दो) यदि ठेका धन प्रतिवर्ष रुपये 20,000/- से अधिक किन्तु प्रतिवर्ष रुपये 50,000/- से अधिक नहीं है तो ठेका धन का दो समान किस्तों में भुगतान किया जा सकेगा. पहली किस्त करार के निष्पादन के पूर्व जमा की जाएगी.

(तीन) यदि ठेका धन प्रतिवर्ष रुपये 50,000/- से अधिक किन्तु रुपये 1,00,000/- से अधिक नहीं है तो ठेका धन तीन समान किस्तों में जमा किया जाएगा. पहली किस्त, करार निष्पादन के पूर्व जमा की जाएगी.

(चार) यदि ठेका धन प्रतिवर्ष रुपये 1,00,000/- से अधिक है तो ठेका धन चार समान किस्तों में जमा किया जाएगा. पहली किस्त, करार निष्पादन के पूर्व जमा की जाएगी.'';

(तीन) पैरा 13 में, शब्द ''तीन मास'' के स्थान पर, शब्द ''एक मास'' तथा शब्द ''प्रतिभूति रकम'' के स्थान पर, शब्द ''प्रतिभूति रकम/प्रतिभूति'' स्थापित किए जाएं.

(18) प्ररूप-सोलह में, पैरा 3 में,

(एक) उप पैरा (4) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) जमा किया गया अग्रिम धन अंतिम बोली लगाने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति को छोड़कर, जिसकी बोली स्वीकार किये जाने की संभावना है, समस्त बोली लगाने वालों को वापस कर दिया जायेगा. अंतिम बोली लगाने वाले को अंतिम बोली का 25 प्रतिशत प्रतिभूति रकम के रूप में उसके पक्ष में बोली समाप्त होने के तत्काल बाद नीलाम स्थल पर तथा प्रतिभूति के रूप में 25 प्रतिशत रकम के समतुल्य ठेका अवधि तक की बैंक गारंटी/राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा सात दिन के भीतर करार में अधिकथित किए गए निबंधनों तथा शर्तों के अनुपालन के लिये जमा करना होगी. यह प्रतिभूति रकम, प्रतिभूति संविदा के अवधि समाप्त होने के पश्चात् केवल तभी वापसी योग्य होगी, जब कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) का यह समाधान हो जाए कि ठेकेदार द्वारा समस्त नियमों और/करार की शर्तों का समाधानप्रद रूप से पालन किया गया हैं.";

(दो) उप पैरा 6 में, शब्ध "प्रतिभूति निक्षेप राशि" के स्थान पर, शब्द "प्रतिभूति रकम/प्रतिभूति" स्थापित किए जाए;

(तीन) उप पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"7. ठेके धन का भुगतान किस्तों में निम्नानुसार किया जाएगा :—(एक) यदि ठेका धन प्रतिवर्ष रुपये 20,000/- से अधिक नहीं है तो सम्पूर्ण रकम, करार के निष्पादन के पूर्व एक किस्त में जमा की जाएगी;

(दो) यदि ठेका धन प्रतिवर्ष रुपये 20,000/- से अधिक किन्तु प्रतिवर्ष 50,000/- से अधिक नहीं है तो ठेका धन का दो समान किस्तों में भुगतान किया जा सकेगा. पहली किस्त करार के निष्पादन के पूर्व जमा की जाएगी;

(तीन) यदि ठेका धन प्रतिवर्ष रुपये 50,000/- से अधिक किन्तु रुपये 1,00,000/- से अधिक नहीं है तो ठेका धन तीन समान किस्तों में जमा किया जाएगा. पहली किस्त, करार निष्पादन के पूर्व जमा की जाएगी;

(चार) यदि ठेका धन प्रतिवर्ष रुपये 1,00,000/- से अधिक है तो ठेका धन चार समान किस्तों में जमा किया जाएगा. पहली किस्त, करार निष्पादन के पूर्व जमा की जाएगी.";

(चार) उप पैरा 9 में, शब्द "तीन मास" के स्थान पर, शब्द "एक मास" तथा शब्द "प्रतिभूति रकम" के स्थान पर, शब्द "प्रतिभूति रकम/प्रतिभूति" स्थापित किए जाएं.

(19) प्ररूप अठारह में,

(एक) पैरा 1 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"1. यतः ठेकेदार, ठेके की शर्तों के अनुसार ठेके की रकम रुपये . . . . . प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है, जो रकम एतद्पश्चात् ठेका धन कहलोगी और रुपये . . . . . अग्रिम धन के रुप में, रुपये . . . . . प्रतिभूति रकम और रुपये . . . . . की ठेका अवधि की बैंक गारंटी/राष्ट्रीय बचत पत्र/सावधि जमा प्रतिभूति के रूप में जो कि वार्षिक ठेकाधन का क्रमशः पांच प्रतिशत, पच्चीस प्रतिशत और पच्चीस प्रतिशत है, और जो ठेके के निबंधनों और शर्तों के सम्यक् पालन के लिए जमा रखी जाएगी और जो कि ठेके के करार का किसी प्रकार भंग किये जाने की स्थिति में समपहृत किये जाने योग्य होगी; और

यतः कलक्टर/अपर कलक्टर (वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा वेतनमान) . . . . . ने उसे उस व्यापारिक खदान का ठेका स्वीकृत किया है जिसका मानचित्र संलग्न है जिस खदान का क्षेत्रफल . . . . . हेक्टर है और जिसका विवरण संलग्न अनुसूची "क" में दिया गया है जो अब आगे "खदान" कही जाएगी.";

(दो) पैरा 9 में, शब्द "तीन मास" के स्थान पर, शब्द "एक मास" तथा शब्द "प्रतिभूति" के स्थान पर, शब्द "प्रतिभूति रकम/प्रतिभूति" स्थापित किए जाएं;

(तीन) पैरा 28 में, शब्द "प्रतिभूति राशि" के स्थान पर, शब्द "प्रतिभूति रकम/प्रतिभूति" स्थापित किए जाएं.

No. F. 19-7-2010-XII-1.-In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957) the State Government hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Minor Minerals Rules, 1996, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,–

(1) After clause (xii) of rule 2, the following clause shall be inserted, namely:—

"(xii-a) "Officer Incharge, Mining Section" means the Gazetted Officer of Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh posted at Collector's office and in absence of him, officer nominated by the Collector;".

(2) For rule 6, the following rule shall be substituted, namely:—

"6. Power to grant quarry lease.- Quarry lease in respect of minerals specified in Schedule I and II shall be granted and renewed by the authority mentioned in column (2) for the minerals specified in column (3) subject to the extent as specified in the corresponding entry in column (4) thereof of the Table below:—

TABLE

S. No. (1)	Authority (2)	Minerals (3)	Extent of powers (4)
1.	Director	(i) Minerals specified in serial numbers 1 to 3 of Schedule I.	(i) Where the area applied for exceeds 5.00 hectares.
		(ii) Minerals specified in serial number 4 of Schedule I	(ii) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.
		(iii) Minerals specified in serial numbers 6 and 7 of Schedule I.	(iii) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.
2.	Collector/Additional Collector (Senior IAS Scale)	(i) Minerals specified in serial numbers 1 to 3 of Schedule I.	(i) Where the area applied for does not exceeds 5.00 hectares.
		(ii) Minerals specified in serial number 4 of Schedule I.	(ii) Where the area applied for does not exceeds 4.00 hectares.
		(iii) Minerals specified in serial numbers 6 and 7 of Schedule I.	(iii) Where the area applied for exceeds 2.00 hectares and does not exceeds 4.00 hectares.
		(iv) Minerals specified in serial number 2 of Schedule II. ordinary clay for making bricks and tiles in chimney-kilns/ kilns.	(iv) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.
		(v) Mineral specified in serial numbers 5 to 12 of Schedule II.	(v) Where the area applied for exceeds 4.00 hectares.
3.	Officer Incharge, Mining Section	(i) Minerals specified in serial number 6 and 7 of Schedule I.	(i) Where the area applied for does not exceeds 2.00 hectares.
		(ii) Minerals specified in serial number 2 of Schedule II. ordinary clay for making bricks and tiles in chimney-kilns/ kilns.	(ii) Where the area applied for does not exceeds 4.00 hectares.
		(iii) Mineral specified in serial number 5 to 12 of Schedule II	(iii) Where the area applied for does not exceeds 4.00 hectares".

(3) In rule 7,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted,namely:—

"(1) The quarries of Minerals specified in serial number 5 of Schedule I and serial numbers 1, 3 and 4 of Schedule II, shall be allotted only by auction :

Provided that quarry lease of mineral specified in serial number 1 of Scheduel II may be granted in favour of Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited (Government of Madhya Pradesh Undertaking).";

(ii) for sub-rule 2, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The quarry of minerals specified in serial number 5 of Schedule I shall be auctioned for five years and quarry of minerals specified in serial numbers 1, 3 and 4 of Schedule II shall be auctioned for two years :

Provided that if contractor establishes cutting and polishing industry, for minerals specified in serial no. 5 of Schedule I, within one year, then period of contract shall be exceeded to ten years at the place of five years and in such condition contract money shall be increased by 10% every year excluding first year.".

(4) In rule 8, for the words and figures "mineral specified in serial numbers 1, 3 and 4 of Schedule II", the words and figures "minerals specified in serial number 5 of Schedule I and minerals specified in serial numbers 1, 3, and 4 of Schedule II" shall be substituted.

(5) In rule 17, for rull stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if an application for renewal of quarry lease made within prescribed period, the period of that lease, shall be deemed to have been extended up to six months, for renewal.".

(6) For sub-rule (2) of rule 18, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) The Sanctioning Authority after making such enquires as he deems fit, may sanction the grant or renewal of a quarry lease or refuse to sanction it before the expiry of quarry lease already sanctioned :

Provided that no quarry lease for new area shall be sanctioned without obtaining opinion of the respective Gram Sabha :

Provided further that if the application is not disposed of by sanctioning authority within six months, then application shall be disposed of by senior authority, as mentioned in rule 6.".

(7) In rule 21, for the opening para, the following para shall be substituted, namely :—

"The quarry lease of the minerals specified at S.No. 4, 6 and 7 of Schedule I and minerals specified in Schedule II excluding S.No. 1, 3 and 4 shall be preferably given to the following category, namely.

(8) In rule 22, for the existing table, the following table shall be substituted, namely:—

"S. No.	Name of the Minerals	Period	
		In case of individual	In case of co-operative Society
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Limestone when used in kilns for manufacture of lime used as building material.	Ten years with renewal clause.	Ten years with renewal clause.
2.	Stone for making gitti by mechanical crushing (i.e. use for crusher).	Ten years with renewal clause.	Ten years with renewal clause.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Bentonite/Fuller's earth	Five years with renewal clause.	Five years with renewal clause.
4.	Clay for chimney Bhatta and tiles industry	Ten years with renewal clause.	Ten years with renewal clause.
5.	Ordinary clay for making bricks, pots tiles etc. except chimney Bhatta.	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
6.	Lime Kankar	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
7.	Gravel	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
8.	Lime shell	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
9.	Reh mitti	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
10.	Slate when used for Building Material.	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
11.	Shate when used for Building Material.	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.
12.	Any other minor mineral not specified above.	Two years without renewal clause.	Two years without renewal clause.

(9) For rule 23, the following rule shall be substituted, namely:—

"23. **Part surrender and amalgamation of quarry lease.**—(a) Those area of quarry lease which devoid of mineral or it is exhausted, lessee shall be entitled to surrender any compact part, within lease period or at the time of renewal:

Provided that Sanctioning Authority shall not accepet such type of surrender without spot inspection made by Director or Officer nominated by him.

(b) The Sanctioning Authority may, in the interest of mineral development and with reasons to be recorded in writing, permit amalgamation of two or more adjoining leases held by a lessee:

Provided that the period of amalgamated leases shall be co-terminus with the lease whose period will expire first.".

(10) In sub-rule (26) of rule 30,—

(i) the words, brackets and figures "sub-rule (1), (3), (4), (11), (12) or (13) of" shall be omitted;

(ii) for the words "sixty days", the words "thirty days" shall be substituted.

(11) For proviso to sub-rule (1) of rule 35, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that permission for transfer may be granted to lessee by the sanctioning authority on payment of three times of prevailing dead rent of third year, in the same manner as prescribed in sub-rule (3) of rule 10 and transferee has accepted all the conditions and liabilities which the transferor was having in respect of any such quarry lease.".

(12) For sub-rule (1) of rule 36, the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) The quarries of mineral specified in serial number 5 of Schedule I and minerals specified in serial numbers 1, 3 and 4 of Schedule II shall be allotted only by auction :

Provided that quarry lease of mineral specified in serial number 1 of Schedule II may be granted in favour of the Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited (Government of Madhya Pradesh Undertaking).".

(13) In rule 41, the following new sub-rule shall be inserted, namely :—

"(6) If auction has not been done, due to reasons beyond the control of the State Government then after enhancement of ten percent in contract money, on condition of advance payment, permission for operation of contract to the previous contractor shall be given by the Director for maximum three months and during this period contractor shall abide all conditions of agreement.".

(14) In rule 53,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Whenever any person is found extracting or transporting minerals or on whose behalf such extraction or transportation is being made otherwise than in accordance with these rules, shall be presumed to be a party to the illegal extraction of minerals and every such person shall be punishable with simple imprisonment for a minimum term of three months which may extend to two years or with fine which may extend to fifty thousand rupees or with both.";

(ii) in sub-rule (5), for the words "double the market value", the words "ten times of the market value" and for the words "ten times of royalty", the words "twenty times of royalty" shall be substituted.

(15) In sub-rule (2) of rule 57, for the words "Collector/Additional Collector", the words "Collector/Additional Collector/Officer Incharge, Mining Section" shall be substituted.

(16) In rule 68,—

(i) in sub-rule (1), for the words "Collector/Additional Collector", the words "Officer Incharge, Mining Section" shall be substituted;

(ii) in sub-rule (5), for the words "Collector of the district", the words "Officer Incharge, Mining Section" shall be substituted.

(17) In form-XV,—

(i) for para 8 , the following para shall be substituted, namely:—

"8. The earnest money deposited shall be refunded to all bidders except the final bidder or the person whose bid is likely to be accepted. The final bidder will have to deposit at the auction site 25 percent of the final bid as security amount immediately on the bid being knocked down in his/her favour and equal to 25 percent the Bank Gaurantee/National Saving Certificate/Fixed Deposit of contract period as security within seven days for observance of the terms and conditions laid down in the agreement. This shall be refundable only after the expiry of the period of contract on satisfaction of the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. Scale) that all the rules and/or conditions of the agreement have been satisfactorily fulfilled by the contractor.

In case the bidder fails to deposit the security amount immediately after the bid is knocked down in his/her favour, the earnest money deposited by him/her shall be forfeited and the quarry shall be re-auctioned.";

(ii) for para 11, the following para shall be substituted, namely:—

"11. The contract money shall be paid in instalments as follows:—

(i) If the contract money is not more than Rs. 20,000/- per annum, the full amount shall be deposited in one instalment before execution of the agreement.

(ii) If the contract money exceeds Rs. 20,000/- but does not exceeds Rs. 50,000/- per annum, it may be paid in two equal instalments. The first instalment shall be deposited before the execution of the agreement.

(iii) If the contract money exceeds Rs. 50,000/- per annum but does not exceed Rs. 1,00,000/- it shall be deposited in three equal instalments. The first instalment shall be deposited before execution of the agreement.

(iv) If the contract money exceeds Rs. 1,00,000/- per annum, it shall be deposited in four equal instalments. The first instalment shall be deposited before execution of the agreement.";

(iii) in para 13, for the words "three months", the words "one month" and for the words "security amount", the words "security amount/security" shall be substituted.

(18) In Form-XVI,in para 3,—

(i) in sub-para (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) The earnest money deposited shall be refunded to all bidders except the final bidder or the person whose bid is likely to be accepted. The final bidder will have to deposit at the auction site 25 percent of the final bid as security amount immediately on the bid being knocked down in his/her favour and equal to 25 percent the Bank Gaurantee/National Saving Certificate/Fixed Deposit of contract period as security within seven days for observance of the terms and conditions laid down in the agreement. This shall be refundable only after the expiry of the period of contract on satisfaction of the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. Scale) that all the rules and/or conditions of the agreement have been satisfactorily fulfilled by the contractor.";

(ii) in sub-para (6), for the words "security deposit", the words "security amount/security" shall be substituted;

(iii) for sub-para (7), the following sub-para shall be substituted, namely:—

"(7) The contract money shall be paid in instalments as follows:—

(i) If the contract money is not more than Rs. 20,000/- per annum, the full amount shall be deposited in one instalment before execution of the agreement.

(ii) If the contract money exceeds Rs. 20,000/- but does not exceeds Rs. 50,000/- per annum, it may be paid in two equal instalments. The first instalment shall be deposited before the execution of the agreement.

(iii) If the contract money exceeds Rs. 50,000/- per annum but does not exceed Rs. 1,00,000/- it shall be deposited in three equal instalments. The first instalment shall be deposited before execution of the agreement.

(iv) If the contract money exceeds Rs. 1,00,000/- per annum, it shall be deposited in four equal instalments. The first instalment shall be deposited before execution of the agreement.";

(v) in sub-para (9), for the words "three months", the words "one month" and for the words "security amount", the words "security amount/security" shall be substituted.

(19) In Form-XVIII,—

(i) for para 1, the following para shall be substituted, namely:—

"1. Whereas the contractor in accordance with the conditions of the contract has agreed to pay the contract money Rs..... annually, which amount hereinafter be called the contract money and has paid Rs..... as earnest money, Rs..... as security amount and for Rs..... as Bank Gaurantee/National Saving Certificate/Fixed Deposit of contract period as security, that will be five percent, twenty five percent and twenty five percent respectively shall be kept in deposit for observance of the terms and conditions of the contract and shall be liable for forfeiture, in the event of any kind of breach of the contract agreement, and

Whereas the Collector/Additional Collector (Senior I.A.S. Scale) ..... has sanctioned him/her a contract for the trade quarry the plan of which is annexed, the area of which is ..... hectare and the details of which are given in the enclosed Schedule 'A', which shall henceforth be called the 'Quarry'.";

(ii) in para 9, for the words "three months", the words "one month" and for the words "security deposit", the words "security amount/security" shall be substituted;

(iii) in para 28, for the words "security amount", the words "security amount/security" shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.